तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
30–5.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्रीमति नीतू शेखावत, उप राजकीय अभिभाषक अभिभाषक रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–8–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी 7 बीघा 7 बिस्वा का आवंटन उपखंड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 30–6–83 को रेस्पोडेंट के पिता नानूराम को किया गया। नानूराम का देहांत हो गया है तथा रस्पोडेंट के पिता नानूराम के पास 60 बीघा 17 बिस्वा भूमि गैर दाखिलकारी की थी। जिसमें से उपखंड अधिकारी ने दिनांक 7–5–80 को राजस्थान गैर दाखिलकारी पैतालीसा आवंटन नियम 1970 की धारा 9 के तहत नानूराम को 25 बीघा बिना कीमतन व 28 बीघा 10 बिस्वा कीमतन आवंटन की गई। तत्पश्चात् दिनांक 30–06–83 का उपखंड अधिकारी ने उक्त रकबे की शेष भूमि में से 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट के पिता नानूराम को आवंटन कर दी। अपर जिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 27–12–02 के द्वारा रेस्पोडेंट के पिता को किया गया 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कर विवादित आराजी को राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 6–8–05 से अपील स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18–4–71 को रेस्पोडेंट के पिता नानूराम पुत्र श्री सुख को 50 बीघा 10 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया था तथा 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी को खारिज कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि को दिनांक 07–05–80 को पुनः रेस्पो0 के पिता नानूराम को आवंटन कर दी तथा जिला कलक्टर द्वारा खारिज भूमि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा बहाल किये बिना जिला कलक्टर के आदेश को सुपरशीड करते हुये उसी व्यक्ति को आवंटन किया है जो क्षेत्राधिकार के बाहर था। ऐसी स्थिति में अपर जिला कलेक्टर ने विवादित आराजी 7 बीघा 7 बिस्वा का आवंटन विधि अनुसार निरस्त किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये आलोच्य निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे। 3. अभिभाषक रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। **4.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रस्पोडेंट के पिता नानूराम के कब्जे काश्त में 60 बीघा 17 बिस्वा भूमि गैर दाखिलकारी की थी। जिसमें से उपखंड अधिकारी ने दिनांक 7–5–80 को राजस्थान गैर दाखिलकारी पैतालीसा आवंटन नियम 1970 की धारा 9 के तहत नानूराम को 25 बीघा बिना कीमतन व 28 बीघा 10 बिस्वा कीमतन आवंटन की गई। तत्पश्चात् उपखंड अधिकारी ने उक्त रकबे की शेष भूमि में से 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट के पिता नानूराम को आवंटन कर दी। अपर जिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 27–12–02 के द्वारा रेस्पोडेंट को किया गया 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त कर विवादित आराजी को राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 6–8–05 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18–4–71 को रेस्पोडेंट के पिता नानूराम के कब्जे काश्त की भूमि में से 50 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन कर शेष 6.02 बीघा भूमि खारिज की गई। उपखंड अधिकारी अनुमानगढ द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि को दिनांक 7–5–80 को पुनः नानूराम पुत्र जीसुख को आवंटन कर दी गई तथा जिला कलेक्टर द्वारा खारिज भूमि को भी उपखंड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 30–6–83 को नानूराम पुत्र जीसुख को आवंटित कर दी। जिला कलेक्टर द्वारा खारिज भूमि का उसी व्यक्ति को आवंटन करना जिससे भूमि खारिज हुई है, उपखंड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने	

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटन किया गया है जिसे अति0 जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा विधि विरूद्ध एवं अवैध मानते हुये निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन सही माना है, जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अति0 जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थन योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार योग्य होकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत अपील को स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 6–8–05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–12–02 विधिसम्मत् होने से बहाल रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य